दिनांक–10.01.2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय।

ऊर्जा विभाग

स्वीकृत।

1. ऊर्जा विभाग (मुख्यालय) हेतु चालक के 05 पद तथा निम्नवर्गीय लिपिक के 03 पदों के सृजन की स्वीकृति।

गृह विभाग
(आरक्षी)

2. वित्तीय वर्ष 2011–12 में गैर योजनान्तर्गत तकनीकी सेवायें एवं संचार कार्यालय, पटना के कर्मियों के बकाये वेतनादि भुगतान हेतु वेतनादि मद में बिहार आकस्मिकता निधि से ` 9,62,00,000 (नौ करोड़ बासठ लाख) मात्र अग्रिम की स्वीकृति। — स्वीकृत।

गृह (कारा) विभाग

3. कर्त्तव्य के दौरान मारे गये डा० भूदेव सिंह की विधवा पत्नी को विशेष परिस्थिति में आजीवन पूर्ण पेंशन के लाभ की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर अंचल के मौजा–करहंसी, थाना नं०–07, खाता नं०–769, खेसरा नं०–1896, रकबा–1.00 एकड़ (एक एकड़) अनाबाद सर्वसाधारण भूमि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु पंचायती राज विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. भागलपुर जिलान्तर्गत रीमांड होम भवन के निर्माण हेतु रिफ्यूजी कॉलोनी खंजरपुर, भागलपुर के अन्तर्गत वार्ड नं०–4 के खाता नं०–802 (बिहार पूर्नवास विभाग) एवं खाता नं०–808 (अनाबाद बिहार सरकार) के कुल रकवा–0.3255 हे० (0.805 एकड़) भूमि (विवरणी अनुलग्नक–1) समाज कल्याण विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। — स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

6. वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य के विश्वविद्यालयों को गैर योजनान्तर्गत शिक्षकों के यू०जी०सी० वेतनान्तर माह अगस्त' 10 से फरवरी' 11 हेतु ` 160,86,39,886/– शिक्षकेत्तर कर्मियों के छठे वेतनमान में वेतनान्तर माह अप्रैल' 07 से दिसम्बर' 07 हेतु ` 38,43,15,657/– एवं सितम्बर' 10 से फरवरी' 11 हेतु ` 28,47,20,430/– तथा 50% महंगाई भत्ता का मूल वेतन में विलय के फलस्वरूप माह जनवरी' 05 से मार्च' 07 तक वेतनान्तर हेतु ` 27,22,53,393/–तथा के० एस० डी० एस० विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2011–12 में कतिपय शिक्षकों के वेतन मद हेतु ` 2,19,51,288/–अर्थात् कुल ` 2,57,18,80,654/–(दो सौ सन्तावन करोड़ अठारह लाख अस्सी हजार छः सौ चौवन रू०) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

7. योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा से संपादित कराने हेतु स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के सभी कार्य प्रमण्डल एवं तद्नुसार प्रमण्डल स्तरीय एवं राज्य स्तरीय अभियंत्रण संगठन को क्रमशः कार्य अंचल एवं कार्य विभाग घोषित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति। — स्वीकृत।

गृह (विशेष) विभाग

8. दिनांक–19.10.2011 को सीवान जिला के बसंतपुर थानान्तर्गत मदारपुर उच्च विद्यालय के प्रांगण में हुई घटना में मृत तीन व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान के संबंध में। — स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. वित्तीय वर्ष 2011–12 में समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP) के अन्तर्गत बाढ़ नगर परिषद् की 3466.46 लाख रू०, फारबिसगंज नगर परिषद् को 2152.81 लाख रू०, जमुई नगर परिषद् की 2530.18 लाख रू०, किशनगंज नगर परिषद् की 3055.16 लाख रू०, कुल 11204.61 लाख रू० (एक अरब बारह करोड़ चार लाख एकसठ हजार रू० मात्र) की परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए केन्द्रांश के रूप में क्रमशः 770.84 लाख रू०, 451.00 लाख रू०, 558.31 लाख रू० तथा 630.85 लाख रू० — स्वीकृत।

कुल 2411.00 लाख रू० (चौबीस करोड़ ग्यारह लाख रू० मात्र) एवं राज्यांश के रूप में क्रमशः 770.84 लाख रू०, 451.00 लाख रू०, 558.31 लाख रू० तथा 630.85 लाख रू० कुल 2411.00 लाख रू० (चौबीस करोड़ ग्यारह लाख रू० मात्र) की विमुक्ति।

पंचायती राज विभाग

10. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम–105 के तहत पंचायत उप चुनाव, फरवरी, 2012 हेतु मतदान तिथि की अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में।

स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

11. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजना से क्षतिपूर्ति अनुदान मद में अतिरिक्त 7837.50 लाख (अठहत्तर करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार मात्र) रूपये व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

12. संविदा पर पूर्व से नियुक्त कर्मियों के संकल्प संख्या–2401 दिनांक–18.07.2007 के द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात संविदा पर पुनर्नियोजन के प्रक्रिया की स्वीकृति।

संलेख की कंडिका 5(i), 5(ii) एवं 6 का प्रस्ताव स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

13. राज्य के दस (10) जिलों यथा नालन्दा, लखीसराय, रोहतास, कटिहार, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपुरा एवं पूर्वी चम्पारण में नवस्थापित पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रति संस्थान 36 (छत्तीस) शैक्षणिक तथा 54 (चौवन) प्रशासनिक एवं तकनीकी सहायक कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2011–12 में सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई के स्थापना मद में व्यय हेतु ` 90.00 लाख (नब्बे लाख) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।

स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

15. रॉची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं समबद्ध विज्ञान संस्थान, कॉके, राँची का वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 6,11,58,600/–(छः करोड़ ग्यारह लाख अंठावन हजार छः सौ) रूपये मात्र सहायक अनुदान एवं व्यय की स्वीकृति।

स्वीकृत।

उद्योग विभाग

16.	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मियों का सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का स्वीकृति का प्रस्ताव।	**स्वीकृत।**